



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली-110016

21(7) / ला.ब.शा.रा.सं.वि. / हिंदी रा.भा.का.स. / 2020-21/481

25.07.2023
१८

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 धारा 3(3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज जैसे:-दिन-प्रति-दिन के सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएँ, नियम, करार, संविदा, टैंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञाप्ति, लाइसेंस (अनुज्ञाप्ति), परमिट (अनुज्ञा पत्र) आदि सभी द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) या हिन्दी में जारी किये जाये। द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) या हिन्दी में कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव एवं अनुभाग अधिकारी के होंगे।

यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी के स्वीकृति उपरात निर्गत किया जा रहा है।

कुलसचिव (प्रमारी)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विश्वविद्यालय के समस्त उप कुलसचिव
2. समस्त सहायक कुलसचिव एवं अनुभाग अधिकारी
 3. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि वे इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें
4. कुलपति के निजी सचिव
5. कुलसचिव के निजी सचिव
6. संबंधित पंजिका।

कुलसचिव (प्रमारी)

A.P.

Bhnd
22/7/2023